दिनांक 17 जुलाई, 1987

सं. ओ वि. एफ.डी./26-87/28713.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० मार्डन इन्जीनियरिंग वर्कस, प्लाट नं० 5-बी, सैक्टर 4, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री नित्यानन्द मार्फत हरी सिंह यादव, इन्टक यूनियन आफिस नाहर सिंह मार्किट-बल्लवगढ तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई ओद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निष्टि करना वांछनीय स मझते है ;

इसलिए, अब, ओद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित ओद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामलें जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में दने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :-

क्या श्री नित्यानन्द की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं त्याग पत्र देकर नौकरी छोड़ी है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि. एफ.डी./गुड़गांव/139-87/28720.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० वेस्टर्न इण्डिया इण्डस्ट्रीज लिमिटिड, 55, इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, पालम, गुड़गांव रोड़, गुड़गांव, के श्रमिक श्री के. कुट्टी शंकरन मार्फत श्री पी. के. थम्पी, जनरल सैक्रेट्री बी-II, आई. डी. पी. एल., टाऊनशिप, गुड़गांव, तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु विनिर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री के. कुट्टी शंकरन की सेवाओं का समापन/छांटी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि. एफ.डी./गुड़गांव/140-87/28727.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० वैस्टर्न इण्डिया इण्डस्ट्रीज लिमिटिड, 55, इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, पालम, गुड़गांव रोड़, गुड़गांव, के श्रमिक श्री शशीधरन, फोरमैन, मार्फत श्री पी. के. थम्पी, महासचिव, बी-II, आई. डी. पी. एल. टाऊनशिप, गुड़गांव तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री शशीधरन की सेवा समाप्ति/छांटी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि. एफ.डी./गुड़गांव/138-87/28734.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० वेस्टर्न इण्डिया इण्ड्स्ट्रीज लि०, 55, इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, पालम, गुड़गांव रोड़, गुड़गांव, के श्रमिक श्री सुधीर कुमार मार्फत श्री पी. के. थम्पी, जनरल सैक्रट्री बी-II आई. डी. पी. एल. टाऊनशीप, गुड़गांव तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई ओद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ;

इसलिए, अब, ओद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित ओद्योगि

अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है:—

क्या श्री सुधीर कुमार की सेवाओं का समापन/छांटी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि. एफ.डी./गुड़गाव/42-86/28741.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० डी. एफ, ओ., वन विभाग रेवाड़ी (हरियाणा), के श्रमिक श्री कर्ण सिंह, पुत्र जगमाल सिंह मार्फत श्री भीम सिंह यादव, म. नं. 192, सैक्टर 15, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे, विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री कर्ण सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि. एफ.डी./गुड़गांव/136-87/28748.—चूंकि हरियाणा के राज्यताल की राय है कि मै० वेस्टर्न इण्डिया इण्डस्ट्रीज लि०, 55, इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, पालम, गुड़गांव रोड़, गुड़गांव, के श्रमिक श्री राम नाथ भारद्वाज मार्फत श्री. पी. के. थम्पी, जनरल सैक्रेट्री बी-II आई. डी. पी. एल. टाऊनशीप, गुड़गांव तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क-के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों पथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है :—

क्या श्री राम नाथ की सेवाओं का समापन/छटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 22 जुलाई, 1987

सं. ओ. वि. रोहतक/144-85/29361.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० हरियाणा कोपरेटिव शुगर मिल लिमिटिड, रोहतक, के श्रमिक श्री हुकम सिंह मार्फत श्री एस० एम० वत्स, डाकखाना गली, रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-I-श्रम, 78/32583, दिनांक 6 नवम्बर, 1978 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है :—

क्या श्री हुकम सिंह की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैर-हाज़िर हो कर नौकरी से लियन खोया है ? बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?